

रतनसिंह व अन्य बनाम हेमसिंह व अन्य
प्र0सं0-: 15/2021(रे0वाद)
निर्णय दिनांक:-15/07/2025

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमंद
(पीठासीन अधिकारी:- अर्चना चौधरी , आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 15/2021(रे0वाद)

दायर दिनांक - 26/03/2021

निर्णय दिनांक - 15/07/2025

अनवान

1. रतन सिंह पिता रूप सिंह जाति रावत निवासी हीरा की बस्सी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. नारायण सिंह पिता रूप सिंह जाति रावत निवासी हीरा की बस्सी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

वादीगण

बनाम

1. हेम सिंह पिता रूप सिंह जाति रावत निवासी हीरा की बस्सी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार, देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद (राज.)

प्रतिवादीगण

उपस्थित :-


वादी की ओर से - श्री गोविन्द कंसारा, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से - अनुपस्थित।

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत विभाजन का प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 के संयुक्त रूप से कब्जे एवं खातेसुदा भुमी ग्राम हीरा की बस्सी पटवार हल्का कामली तह0 देवगढ़ जिला राजसमन्द के वर्तमान सेटलमेंट सम्बन्ध 2076 के खाता संख्या 140/138 खसरा नं. 382/6 रकबा 0.1900 हैक्टर कुल कित्ता 1 रकबा 0.1900 हैक्टर एवं खाता संख्या 70 खसरा नं. 278 रकबा 0.0200 हैक्टर , खसरा नं. 280 रकबा 0.0100 हैक्टर , खसरा नं. 283 रकबा 0.0200 हैक्टर , खसरा नं. 451 रकबा 0.1800 हैक्टर एवं खसरा नं. 452 रकबा 0.2400 हैक्टर कुल कित्ता 5 रकबा




सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

रतनसिंह व अन्य बनाम हेमसिंह व अन्य

प्र0सं0-: 15/2021(रोवाद)

निर्णय दिनांक:-15/07/2025

0.4700 हैक्टर भुगी होकर स्थित है। जिरामें से वादीगण राख्या 1 व 2 का क्रमशः 1/3 - 1/3 हिस्सा है एव उसी अनुसार संयुक्त रूप से कब्जा कारत में होकर दर्ज रेकार्ड है शेष आराजीयात में प्रतिवादीगण राख्या 1 का 1/3 हिस्सा है। जिरा पर तहसीलदार देवगढ द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर गिजवाया गया जिरा पर वादी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादीगण का वाद वाकत विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	किस्म
1.	1. नारायणसिंह पुत्र रूपसिंह हिस्सा 1/3 जाति रावत	278	0.02	गै0मु0मकान
	2. हेमसिंह पुत्र रूपसिंह हिस्सा 1/3 जाति रावत	280	0.01	गै0मु0मकान
	3. कैलाशसिंह पुत्र रतनसिंह हिस्सा 1/24 जाति रावत	283	0.02	गै0मु0मकान
	4. कान्ता देवी पुत्री रतनसिंह हिस्सा 1/24 जाति रावत			
	5. चन्दनसिंह पुत्र रतनसिंह हिस्सा 1/24 जाति रावत			
	6. तेजसिंह पुत्र रतनसिंह हिस्सा 1/24 जाति रावत			
	7. तुलसी देवी पत्नि रतनसिंह हिस्सा 1/24 जाति रावत			
	8. दयालसिंह पुत्र रतनसिंह हिस्सा 1/24 जाति रावत			
	9. राधादेवी पुत्री रतनसिंह हिस्सा 1/24 जाति रावत			
	10. देवीसिंह पुत्र रतनसिंह हिस्सा 1/24 जाति रावत			
	योग	किता-03	0.05	
2.	1. नारायणसिंह पुत्र रूपसिंह हिस्सा पूर्ण जाति रावत	451/1	0.0520	चाही 4
		452/1	0.0880	चाही 4
		386/6	0.0633	बारानी 2
		/2		
	योग	किता-03	0.2033	
3.	1. हेमसिंह पुत्र रूपसिंह हिस्सा पूर्ण जाति रावत	451/2	0.0620	चाही 4
		452/2	0.0780	चाही 4
		386/6	0.0633	बारानी 2



रतनसिंह व अन्य बनाम हेमसिंह व अन्य
 प्र०सं०-: 15/2021(रे०वाद)
 निर्णय दिनांक:-15/07/2025

		/3		
	योग	किता-03	0.2033	
4	1. कैलाश सिंह पुत्र रतनसिंह हिस्सा 1/8 जाति रावत	451/3	0.0660	वाही 4
		452/3	0.0740	वाही 4
	2. कांतादेवी पुत्री रतनसिंह हिस्सा 1/8 जाति रावत	386/6	0.0634	बाराणी 2
		/1		
	3. चन्दनसिंह पुत्र रतनसिंह हिस्सा 1/8 जाति रावत			
	4. तेजसिंह पुत्र रतनसिंह हिस्सा 1/8 जाति रावत			
	5. तुलसी देवी पत्नि रतनसिंह हिस्सा 1/8 जाति रावत			
	6. दयालसिंह पुत्र रतनसिंह हिस्सा 1/8 जाति रावत			
	7. देवीसिंह पुत्र रतनसिंह हिस्सा 1/8 जाति रावत			
	8. राधादेवी पुत्री रतनसिंह हिस्सा 1/8 जाति रावत			
	योग	किता-03	0.2034	

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावे तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15/07/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलारा सुनाया गया।



(अर्चना चौधरी R.A.S.)
 सहायक कलेक्टर
 धमरा, जिला राजसमन्द

रतनसिंह व अन्य बनाम हेमसिंह व अन्य

प्र०सं०-: 15/2021(रे०वाद)

निर्णय दिनांक:-15/07/2025

डिक्री व मुकदमे इत्तदाई

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ जिला राजसमन्द

पीठारीन अधिकारी - अर्चना चौधरी आर०ए०ए०

राजस्व वाद संख्या :- 15/2021

अनवान

1. रतन सिंह पिता रूप सिंह जाति रावत निवासी हीरा की बरसी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
2. नारायण सिंह पिता रूप सिंह जाति रावत निवासी हीरा की बरसी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

वादीगण

बनाम

1. हेम सिंह पिता रूप सिंह जाति रावत निवासी हीरा की बरसी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
2. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार, देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज.)

प्रतिवादीगण


उपरिथत :-

वादी की ओर से - श्री गोविन्द करंभारा, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से - अनुपरिथत।

में इस आशय दिनांक 15/07/2025 को न्यायालय के रामक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 के संयुक्त रूप से कब्जे एवं खातेसुदा भुमी ग्राम हीरा की बरसी पटवार हल्का कामली तह० देवगढ जिला राजसमन्द के वर्तमान रोटलमेंट राग्वत् 2076 के खाता संख्या 140/138 खसरा नं. 382/6 रकबा 0.1900 हैक्टर कुल किता 1 रकबा 0.1900 हैक्टर एवं खाता संख्या 70 खसरा नं. 278 रकबा 0.0200 हैक्टर , खसरा नं. 280 रकबा 0.0100 हैक्टर , खसरा नं. 283 रकबा 0.0200 हैक्टर , खसरा नं. 451 रकबा 0.1800 हैक्टर एव खसरा नं. 452 रकबा 0.2400 हैक्टर कुल किता 5 रकबा 0.4700 हैक्टर भुमी होकर स्थित है। जिसमें से वादीगण संख्या 1 व 2 का क्रमशः 1/3 - 1/3 हिस्सा है एव उरी अनुसार संयुक्त रूप से कब्जा कास्त में होकर दर्ज रेकार्ड है शेष आराजीयात




सहायक कलेक्टर
देवगढ, जिला राजसमन्द

रतनसिंह व अन्य बनाम हेमसिंह व अन्य
प्र०सं०-: 15/2021(रे०वाद)
निर्णय दिनांक:-15/07/2025

में प्रतिवादीगण सख्या 1 का 1/3 हिस्सा है । जिरा पर तहसीलदार देवगढ द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर गिजवाया गया जिरा पर वादी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादीगण का वाद वायत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी सख्या	रकबा	किरग
1.	1. नारायणसिंह पुत्र रूपसिंह हिस्सा 1/3 जाति रावत 2. हेमसिंह पुत्र रूपसिंह हिस्सा 1/3 जाति रावत 3. कैलाशसिंह पुत्र रतनसिंह हिस्सा 1/24 जाति रावत 4. कान्ता देवी पुत्री रतनसिंह हिस्सा 1/24 जाति रावत 5. चन्दनसिंह पुत्र रतनसिंह हिस्सा 1/24 जाति रावत 6. तेजसिंह पुत्र रतनसिंह हिस्सा 1/24 जाति रावत 7. तुलसी देवी पत्नि रतनसिंह हिस्सा 1/24 जाति रावत 8. दयालसिंह पुत्र रतनसिंह हिस्सा 1/24 जाति रावत 9. राधादेवी पुत्री रतनसिंह हिस्सा 1/24 जाति रावत 10. देवीसिंह पुत्र रतनसिंह हिस्सा 1/24 जाति रावत	278 280 283	0.02 0.01 0.02	गै०मु०मकान गै०मु०मकान गै०मु०मकान
	योग	किता-03	0.05	
2.	1. नारायणसिंह पुत्र रूपसिंह हिस्सा पूर्ण जाति रावत	451/1 452/1 386/6 /2	0.0520 0.0880 0.0633	चाही 4 चाही 4 बारागी 2
	योग	किता-03	0.2033	
3	1. हेमसिंह पुत्र रूपसिंह हिस्सा पूर्ण जाति रावत	451/2 452/2 386/6 /3	0.0620 0.0780 0.0633	चाही 4 चाही 4 बारागी 2
	योग	किता-03	0.2033	
4	1. कैलाश सिंह पुत्र रतनसिंह हिस्सा 1/8 जाति	451/3	0.0660	चाही 4




रतनसिंह व अन्य बनाम हेमसिंह व अन्य
प्र०सं०-: 15/2021(रे०वाद)
निर्णय दिनांक:-15/07/2025

रावत	452/3	0.0740	वाही 4
2. कांतादेवी पुत्री रतनसिंह हिरसा 1/8 जाति रावत	386/6 /1	0.0634	वाराणी 2
3. चन्दनसिंह पुत्र रतनसिंह हिरसा 1/8 जाति रावत			
4. तेजसिंह पुत्र रतनसिंह हिरसा 1/8 जाति रावत			
5. तुलसी देवी पत्नि रतनसिंह हिरसा 1/8 जाति रावत			
6. दयालसिंह पुत्र रतनसिंह हिरसा 1/8 जाति रावत			
7. देवीसिंह पुत्र रतनसिंह हिरसा 1/8 जाति रावत			
8. राधादेवी पुत्री रतनसिंह हिरसा 1/8 जाति रावत			
योग	किता-03	0.2034	

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावे।
पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15/07/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलारा
सुनाया गया।


(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहाय सहायक वकिलों के विंगट
द्विगट, विज्ञान सापत्तमन्

